उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 245 / 011 – प्रयोगशाला /23 दिनांक : 20/02/23

कार्यालय ज्ञाप

एतद् द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संचालित समस्त जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सामग्री का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण एवं आवश्यक सामग्री की ससमय आपूर्ति हेतु **"e-Stock-Lab"** की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है, जिसके तहत–

क) जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सामग्री की ऑनलाइन इण्ट्री हेतु शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पर्यवेक्षण में डाटा सेन्टर में कार्यरत प्रोग्रामर के द्वारा विभागीय वेबसाइट (upjn.in) पर **"e-Stock-Lab"** लिंक के अन्तर्गत आवश्यक फार्मेट आदि तैयार की जायेगी। फार्मेट का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात् समस्त प्रयोगशाला प्रभारी को सामग्री की इण्ट्री हेतु सक्षम स्तर से निर्देशित किया जायेगा।

ख) राज्य स्तरीय प्रयोगशाला प्रभारी (शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी) एवं क्षेत्रीय/जनपद स्तरीय प्रयोगशाला प्रभारी (अधिशासी अभियन्ता) द्वारा जल परीक्षण प्रयोगशाला में उपलब्ध सामग्री जैसे कि– रसायन, सी०आर०एम०, ग्लासवेयर, उपकरण, सहायक सामग्री आदि को सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (प्रयोगशाला) द्वारा भौतिक रूप से प्रति माह सत्यापित कराकर विवरण को अग्रिम माह की 07 तारीख तक पोर्टल पर भरा जायेगा तथा विवरण का प्रिन्ट लेकर हस्ताक्षरित कर अन्तिम रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

ग) राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, इंचार्ज एवं जनपदीय प्रयोगशालाओं के अनुश्रवण से सम्बन्धित शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी द्वारा पोर्टल से प्राप्त सामग्री के विवरण को संकलित कर आगामी एक वर्ष की आवश्यकता का आंकलन करते हुए नियमानुसार प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् प्राक्कलन को SLSSC में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

घ) संयुक्त निदेशक, सामुदायिक सहभागिता इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ द्वारा SLSSC से अनुमोदित प्राक्कलन पर नियमानुसार निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर Rate Contract किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोगशालाओं द्वारा माँग की गयी सामग्री को सम्बन्धित शोध अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था में प्रचलित वित्तीय नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

(बृजराज सिंह यादव)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रा०)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

3. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
6. नोडल अधिकारी (जल गुणवत्ता), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सहायक शोध अधिकारी के पर्यवेक्षण में upjn.in पर आवश्यक फार्मेट एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत करें।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (प्रयोगशाला प्रभारी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
10. संयुक्त निदेशक, सामुदायिक सहभागिता इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
11. समस्त सहायक शोध अधिकारी, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

20/2/23
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रा०)